



स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड

निबंधन सं० 4 दिनांक 03.04.72

मध्यावधि ऋण आवेदन पत्र

1. सदस्य का नाम एवं श्रेणी
2. पिता का नाम
3. बैंक में नियुक्ति की तिथि
4. सेवा पुस्तिका के अनुसार जन्म तिथि
5. स्थायी पता
6. वर्तमान पता
7. कुल मासिक वेतन
8. नियंत्रक अधिकारी का नाम एवं पदनाम
9. आवेदित ऋण राशि
10. लिए गए ऋण का विवरण
11. सेवा निवृत्ति की अनुमानित तिथि
12. सदस्य का पूर्ण हस्ताक्षर (जो बैंक में हैं)

खाता सं०

(S.S. No.)

मोबाईल नं०

P.F. Index No.

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री द्वारा भरे गये विवरण सही है। ऋण हेतु अनुशंसा की जाती है। आवेदक से ऋण की वसूली सोसाईटी की मांग के अनुसार की जाएगी। इसकी जमानत दी जाती है कि यदि ऋण की कुल राशि पदाधिकारी के सेवा निवृत्ति/ बैंक से हटने के समय तक वसूल नहीं हुई तो वह उसके भविष्य निधि या अन्य सेवा निवृत्ति निधियों से काटकर समिति को ऋण के भुगतान के लिए दी जाएगी।

नियंत्रक अधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर

(S.S. No.)

13. ऋण का उद्देश्य
14. जमानतदारों के हस्ताक्षर जो समिति के सदस्य हों

(i) हस्ताक्षर

नाम

पदस्थापन स्थान

(ii) हस्ताक्षर

नाम

पदस्थापन स्थान

P.F. INDEX No.

P.F. INDEX No.

प्रमाण-पत्र

मैं आवेदित ऋण के लिए समिति द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने का वचन देता हूँ। मैं यह भी वचन देता हूँ कि यदि ऋण की पूरी राशि हमारे वेतन से मेरे द्वारा प्रस्तुत कटौती अधिकार पत्र के आधार पर काटने पर भी शेष बची रहे तो मेरी बैंक से सेवा निवृत्ति या बैंक से हटने के समय बैंक को यह अधिकार होगा कि शेष बची ऋण राशि मेरे भविष्य निधि या अन्य निधियों से जो बैंक द्वारा मुझे देय होगी, काटकर समिति को ऋण की भरपायी के लिए भुगतान करें। मैं अन्य किसी क्रेडिट सोसाईटी का सदस्य नहीं हूँ।

सदस्य का हस्ताक्षर

(जो बैंक में है)

समिति के लिए

ऋण स्वीकृति के लिए की गई बैठक, यदि कोई हो, की तिथि

ऋण स्वीकृति की राशि

विशेष शर्त यदि कोई हो

अध्यक्ष / सचिव

ऋण बॉन्ड
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ
को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड
जे० सी० रोड, पटना

एतद् मैं सदस्य, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि०, पटना सभी की जानकारी के लिए घोषित करता हूँ कि मैं समिति द्वारा कार्य के लिए रु० (रु०) का ऋण प्राप्त किया है जो समिति ने अपने रजिस्टर्ड नियमावली के तहत बनाए गए एवम् समय-समय पर परिवर्तनीय नियमों के तहत स्वीकृत किया है। मैं एतद् घोषणा करता हूँ और वचन देता हूँ कि

1. मैं समिति द्वारा निर्धारित रु० की मासिक किस्त प्रतिमाह अपने वेतन से कटवाकर बैंक द्वारा समिति को ऋण के भुगतान के लिए लगातार तब तक भेजता रहूँगा। जबतक ऋण की पूरी राशि का भुगतान नहीं हो जाता तथा समिति बैंक को कटौती रोकने का आदेश निर्गत नहीं करती।
2. मेरे द्वारा साथ में संलग्न "कटौती का अधिकार पत्र" अविकल्पी है तथा इसे बीच में रोकने या इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। समिति को यह अधिकार है कि वह चाहे तो कटौती की राशि को घटा या बढ़ा सकती है।
3. मैं यह वचन देता हूँ कि मैं ऋण की राशि अपने वेतन के काटकर माहवारी किस्तों में भुगतान करूँगा और बिना नागा किए तब तक भुगतान करता रहूँगा। जब तक ऋण की राशि का भुगतान नहीं हो जाता। समय-समय पर मेरे पास धन के बचत की अवस्था में मैं सुविधानुसार किस्त के अलावे भी रकम जमा करता रहूँगा ताकि ऋण का शीघ्र भुगतान हो सके।
4. मैं समिति द्वारा निर्धारित तथा समय-समय पर परिवर्तनीय ब्याज देने का वचन देता हूँ। मैं यह भी वचन देता हूँ कि ब्याज की रकम उसी प्रकार वसूल की जाएगी जिस तरह ऋण की मूल राशि वसूल होगी।
5. मैं यह वचन देता हूँ कि ऋण की राशि मैं उसी कार्य में खर्च करूँगा जिस कार्य के लिए मैंने ऋण लिया है। समिति के मांगे पर उसकी संतुष्टि के लिए मैं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ। यदि मैं ऐसा करने में असमर्थ रहा तो समिति को यह अधिकार होगा कि वह ऋण की राशि ब्याज सहित निर्धारित तिथि के पहले ही मुझसे वसूल कर ले या मैं समिति के मांग के अनुसार ऋण भुगतान का वचन देता हूँ तथा अपने को उत्तरदायी मानता हूँ।
6. मैं यह वचन देता हूँ कि इस ऋण के सम्बन्ध में किसी तरह का प्रतिवेदन मैं बिना समिति की जानकारी के बैंक को नहीं दूँगा तथा ऐसे प्रतिवेदन को मैं समिति द्वारा ही अग्रसारित करवाऊँगा।
7. मैं समिति को यह वचन देता हूँ कि ऋण के पूर्ण भुगतान होने तक मैं अपने को ऋण की मासिक कटौती राशि में परिवर्तन करने, भविष्यनिधि विभाग को कोई निर्देश देने या ऐसे किसी कार्य से जिससे समिति का किसी प्रकार अहित होता हो, आदि सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित करता हूँ।
8. मैंने अपने वेतन से मासिक कटौती के लिए अपने नियंत्रक अधिकारी के नाम एक "कटौती अधिकार पत्र" दिया है जो संलग्न है। बैंक हर महीने इस अधिकार पत्र के आधार पर मेरे वेतन से कटौती करेगा और समिति को मेरे खाते में जमा करने लिए भेजेगा। यदि मेरे सेवा निवृत्ति या बैंक से हटने के समय तक सभी ऋण पूरी तरह चुकता नहीं हो जाता तो बैंक मेरे भविष्यनिधि खाते से या अन्य सेवा निवृत्ति निधियों से जो मुझे भुगतान होगी, आवश्यक रकम काटकर समिति को मेरे इस ऋण की पूरी तरह भरपाई तथा चुकता करने के लिए भेजेगा और समिति से मेरे नाम "कोई बकाया नहीं है" ऐसा प्रमाण पत्र मिलने पर ही बाकी रकम का भुगतान करेगा। मैं यह स्पष्ट अपरिवर्तनीय तथा अविकल्पी अधिकार बैंक को देता हूँ।

हस्ताक्षर ()

हस्ताक्षर ()

9. मैं यह वचन देता हूँ कि वर्तमान में तथा समिति द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले सभी नियम मुझे मान्य होंगे। यदि मुझे कोई नियम मान्य नहीं होगा तो मैं समिति द्वारा लिया गया ऋण वापस कर दूँगा और तब उसका विरोध करूँगा।

मैं इन सभी शर्तों को मानते हुए पूर्ण होशो हवास में बिना किसी के दबाव में एवम् अपनी स्वतंत्र इच्छा से यह ब्रॉन्ड भरता हूँ, अपना हस्ताक्षर करता हूँ ताकि समय पर काम आवे।

सदस्य का पूरा नाम

सदस्य का हस्ताक्षर

(जो बैंक में है)

पिता/पति का नाम

स्थायी पता

.....

.....

वर्तमान पता

पदस्थापन का स्थान

हम अधोहस्ताक्षरी इस ऋण राशि के आवेदक ऋणी के जमानतदार होकर इस ऋण की भरपाई की वचन देते हैं तथा स्वेच्छा से जामीन बनते हैं तथा इसके एवज में अपना हस्ताक्षर नीचे करते हैं। हम यह वचन देते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से तथा संयुक्त रूप से इस ऋण के वचनबद्ध होकर इसकी पूरी भरपाई के जिम्मेवार होंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण की राशि बराबर वसूल होती रहे तथा इसमें किसी प्रकार की रूकावट नहीं आएँ। यदि ऋण की पूरी राशि किसी भी कारणवश आवेदक ऋणी से वसूल नहीं हो सकी तो हम बैंक को यह अधिकार देते हैं कि वह ऋण की बकाया राशि हममें से किसी एक से या हम दोनों से संयुक्त रूप से महावारी किस्तों में वसूल करें। यदि इस प्रकार भी ऋण की राशि पूरी वसूल नहीं होती है तो बैंक को यह अधिकार होगा कि बैंक हमारे भविष्य निधि रकम या अन्य सेवा निवृत्ति निधियों से काटकर इस ऋण का पूरी तरह चुकता कर दे। हम यह जामीन बिना किसी दबाव के अपने पूरे होशो हवास में तथा अपनी इच्छा से दे रहे हैं ताकि समय पर काम आवे।

तारीख

1. जमानतकर्ता का नाम P.F. INDEX No.

हस्ताक्षर (जो बैंक में है)

पिता/पति का नाम

स्थायी पता

.....

.....

2. जमानतकर्ता का नाम

हस्ताक्षर (जो बैंक में है)

पिता/पति का नाम

स्थायी पता

.....

..... P.F. INDEX No.

सेवा में,

प्रबन्धन समिति

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सुपरवाइजिंग स्टाफ

को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड

जजेज कोर्ट रोड, पटना-1

महोदय,

मैं आपकी समिति का सदस्य हूँ। मेरी सदस्यता सं० है। मैं आपके समिति की हिस्सा पूँजी आवंटन करने का अनुरोध करता हूँ। मैं समिति द्वारा इससे कम या अधिक हिस्सा पूँजी आवंटन करने पर उसे स्वीकार करने का वचन देता हूँ।

भवदीय,

आवेदक का हस्ताक्षर (जो बैंक में है)

आवेदक का नाम

पदनाम

शाखा/विभाग

दिनांक

नोट :- अगर आपका उम्र 55 वर्ष से अधिक हो गया हो तो उसमें तीन कागजात

(i) AGM, PPG, LHO, Patna के नाम अधिकार पत्र कि समिति के बकाया ऋण को PF से समायोजित किया जाए। (ii) वेतन पर्ची (iii) PF स्टेटमेंट का नवीनतम कापी का छाया प्रति संलग्न करें।

अधिकार पत्र

दिनांक

पूरा नाम
पदनाम
वर्तमान पद

सेवा में,
शाखा प्रबन्धक / कार्यालय प्रबन्धक
भारतीय स्टेट बैंक

महोदय,

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि०, पटना

मैं इसके द्वारा मेरे वेतन से रु० (रु०)
कटौती कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि०, पटना को प्रतिमाह
मध्यावधि ऋण के लिए मासिक देय के भुगतान हेतु अधिकृत करता हूँ।

पूरा नाम :

भवदीय

शाखा / विभाग :

(हस्ताक्षर)

(द्वितीय - प्रति)

अधिकार पत्र

दिनांक

पूरा नाम
पदनाम
वर्तमान पद

सेवा में,
शाखा प्रबन्धक / कार्यालय प्रबन्धक
भारतीय स्टेट बैंक

महोदय,

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि०, पटना

मैं इसके द्वारा मेरे वेतन से रु० (रु०)
कटौती कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि०, पटना को प्रतिमाह
मध्यावधि ऋण के लिए मासिक देय के भुगतान हेतु अधिकृत करता हूँ।

पूरा नाम :

भवदीय

शाखा / विभाग :

(हस्ताक्षर)

वेतन से कटौती का प्राधिकार पत्र

- 1) एतद् मैं पदनाम
पुत्र/पुत्री निवासी
पोस्ट ऑफिस थाना
जिला भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत तथा शाखा / कार्यालय
में पदस्थापित; सदस्य, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
सुपरवाइजिंग स्टाफ को-आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि० पटना (बिहार तथा उड़ीसा को-आपरेटिव सोसाइटी
अधिनियम) (अधिनियम VI वर्ष 1935) के तहत पंजीकृत (पंजीकृत संख्या 4 वर्ष 1972) घोषणा करता हूँ
कि मैंने समिति से रु० (रु०) का
ऋण लिया है जिसके एवज में मैंने आवश्यक बॉण्ड भरकर अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित कर दो जमानतकर्ताओं
द्वारा हस्ताक्षर कराकर समिति को सुपुर्द किया है। मैंने समिति का ऋण अपने वेतन से रु०
..... का मासिक किस्तों में भुगतान करने का अधिकार समिति को दिया है।
- 2) मैं एतद् बैंक को यह अधिकार देता हूँ कि वह प्रतिमाह मेरे वेतन से रु०
काटकर समिति को मेरे ऋण खाते में जमा करने हेतु भेजे। यह अधिकार पत्र अपरिवर्तनीय तथा अविकल्पी है।
यह कटौती तब तक चलती रहेगी जबतक समिति इसमें कोई परिवर्तन नहीं करती है।
- 3) मैं यह भी वचन देता हूँ और उसी तहत प्राधिकृत करता हूँ कि यदि मेरे सेवा निवृत्ति या बैंक से हटने या हटाये
जाने के समय ऋण की राशि पूरी तरह चुक नहीं जाती और उसमें बकाया शेष रह जाता है उस अवस्था में बैंक को यह
अधिकार है कि बैंक मेरे भविष्य निधि या अन्य सेवा निवृत्ति निधियों से आवश्यक रकम काटकर समिति को भेजे और
समिति से 'ऋण' बकाया नहीं है" ऐसा प्रमाण पत्र पाने के बाद ही मुझे शेष रकम का भुगतान करें। यह प्राधिकार पत्र मैं
स्वेच्छा से अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के दे रहा हूँ। ताकि बैंक इसके अनुसार कार्यवाई कर सके तथा
समय आने पर समिति के काम आवे।

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

पदस्थापन का स्थान

नियंत्रक अधिकारी

का हस्ताक्षर एवम् मुहर

(S.S. No.)

वेतन से कटौती का अधिकार पत्र

- 1) एतद् मैं पदनाम
पुत्र/पुत्री निवासी
पोस्ट ऑफिस थाना
जिला भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत तथा शाखा / कार्यालय
..... में पदस्थापित; सदस्य, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
सुपरवाइजिंग स्टाफ को-आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि० पटना (बिहार तथा उड़ीसा को-आपरेटिव सोसाइटी
अधिनियम) (अधिनियम VI वर्ष 1935) के तहत पंजीकृत (पंजीकृत संख्या 4 वर्ष 1972) घोषणा करता हूँ
कि मैंने समिति से रु० (रु०) का
ऋण लिया है जिसके एवज में मैंने आवश्यक बॉण्ड भरकर अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित कर दो जमानतकर्त्ताओं
द्वारा हस्ताक्षर कराकर समिति को सुपुर्द किया है। मैंने समिति का ऋण अपने वेतन से रु०
..... का मासिक किस्तों में भुगतान करने का अधिकार समिति को दिया है।
- 2) मैं एतद् बैंक को यह अधिकार देता हूँ कि वह प्रतिमाह मेरे वेतन से रु०
काटकर समिति को मेरे ऋण खाते में जमा करने हेतु भेजे। यह अधिकार पत्र अपरिवर्तनीय तथा अविकल्पी है।
यह कटौती तब तक चलती रहेगी जबतक समिति इसमें कोई परिवर्तन नहीं करती है।
- 3) मैं यह भी वचन देता हूँ और उसी तहत प्राधिकृत करता हूँ कि यदि मेरे सेवा निवृत्ति या बैंक से हटने या हटाये
जाने के समय ऋण की राशि पूरी तरह चुक नहीं जाती और उसमें बकाया शेष रह जाता है उस अवस्था में बैंक को यह
अधिकार है कि बैंक मेरे भविष्य निधि या अन्य सेवा निवृत्ति निधियों से आवश्यक रकम काटकर समिति को भेजे और
समिति से 'ऋण' बकाया नहीं है" ऐसा प्रमाण पत्र पाने के बाद ही मुझे शेष रकम का भुगतान करें। यह प्राधिकार पत्र मैं
स्वेच्छा से अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के दे रहा हूँ। ताकि बैंक इसके अनुसार कार्यवाई कर सके तथा
समय आने पर समिति के काम आवे।

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

पदस्थापन का स्थान

नियंत्रक अधिकारी

का हस्ताक्षर एवम् मुहर

(S.S. No.)